(SDO)

23/08/24

पुकार करीकेन उपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी सं० 1/1 व 1/2 व विपक्षी सं० 04 से 07 द्वारा पेश जवाब का जवाब उत्तर-जवाब पेश किया, जो प्राप्त कि० की प्रति वकील विपक्षीगण को दी गई।

स्थगन प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के सेटलमेन्ट से पूर्व पक्की लगान से प्रार्थीगण के पूर्वज नरसिंगा एवं विपक्षीगण के पूर्वज गोकलदास का नाम बतौर डोलीदार दर्ज था। जिसमें नरसिंगा व गोकलदास प्रत्येक का 1/2-1/2 हिस्सा [illegible] आराजी विपक्षी सं० 01 सोनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	पंजी पर की गई थी, जो सेटलमेन्ट के समाप्त खातेदार बिक्री में विवादित संख्या 01 ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का भी कब्जा काश्त होने तथा हिस्सा होने से उक्त भूमि में जारी स्थगन आदेश को वाद के निर्णय तक कायम किया जावे। वकील अप्रार्थीगण सं. 01व02 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर कभी अपीलार्थी अथवा उनके पूर्वजो का कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर सालगराम अकेले का [illegible] होने से उनके नाम [illegible] में खतौनी बन्दोबस्त में बतौर खातेदार नाम अंकित किया गया। वकील अपीलार्थी का 04 से 07	

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुकम में जारी तारीखहुकम
	द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि आपत्तिगण का वादग्रस्त भूमि पर न तो कब्जा है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज है। जिसके कारण आपत्तिगण को रेकर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील अप्रार्थी सं० 04 से 07 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 01 व 02 कुर्मी संनिध के बाद लेकर आये है। वादग्रस्त भूमि को वर्तमान में अप्रार्थी नं० 04 से 07 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान के क्रय कर भी गई है एवं विपक्षीगण 04 से 07 को वादपत्र एवं आवेदन में आवश्यक पक्षकार बनाया ... लिहाजा वादग्रस्त भूमि में विपक्षी सं० 01 व 02 द्वारा सम्पूर्ण भूमि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO), आहोर

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	का विप्रार्थी सं० 04 से 07 को बेचान करने से पंजीबद्ध बेचान का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करते हुए स्थगन आदेश को वाद के निर्णय तक जारी किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं० 4 से 07 के अधिवक्ता की बहस। तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि क्रेताओं के एक मूल काश्तकार। बेचानकर्ता में निहित होने से पंजीबद्ध बेचान का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नहीं किया जावे। मैंने पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की दलीलों पर मनन किया। पालनहार [illegible] लखमीर के समय अप्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के पूर्वज नरसिंगा एवं गोकलदास	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

के नाम बतौर ढोलीदार दर्ज था।
वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का
बेचान हुआ है तथा कब्जे
काश्त को लेकर आपस में
विवाद है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा
वैसे फिर पर जारी की जाती
है तो वादों की संख्या में
बढ़ोतरी होगी। जिससे रिकार्ड
की यथास्थिति बनाये रखना
आवश्यक है लेकिन विपक्षी
संख्या 04 से 07 प्रकरण में
स्थगन आदेश जारी होने से
पूर्व में वादग्रस्त आराजी को
कम करने से कोई फाइदा होता
है। अतः विपक्षी सं० 04 से 07
द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत
बेचाननामा। [illegible] के
कारण पंजीकृत [illegible]
राजस्व रेकॉर्ड को नामान्तरकरण
भरते हुए राजस्व रेकॉर्ड की

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	उभयपक्ष वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाड़मेर आगोर के खसरा नम्बर 407 रकबा 29.15 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 1703/407 रकबा 02.4079 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 1704/407 रकबा 02.4079 हे० किस्म बारानी दोयम भूमि के सम्बंध में ... बाड़मेर ग्रामीण को निर्देशित किया जाता है कि विद्यार्थी संख्या 04 से 07 के परीक्षा केन्द्रानामा	

सत्यापित
उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की तामील में जारी हुए
	का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करते हुए इस आशय का अंकन करें कि भविष्य में उपपत्र रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। आदेश खुले ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:24:36 IST
Reason: SelfAttested